categories में 5 लोगों को contract basis पर भर्ती किया गया था। जब 1993 में इनको सरकारी अफसर होने का दर्जा दिया गया था, तब सरकार ने नहीं बल्कि Indian Information Service वालों ने मुकदमा किया था, क्योंकि उनको लगा कि ये contract basis पर जो चुने जाते हैं, उसमें कुछ favouritism वगैरह होती है, क्योंकि यहां यूपीएससी का नॉर्म्स नहीं रखा जाता है। उसके बाद 'केट' का ही निर्णय था कि इसको professional service रखा जाए, लेकिन इनके प्रोग्रेसिव प्रमोशन पर ध्यान रखा जाए। मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूं कि इनको जो progressive promotional avenue दिए गए हैं... लेकिन यह मामला इतना ज्यादा इसलिए लटका, क्योंकि कई बार इनको 'केट' जाना पड़ा या एक तरफ या दूसरी तरफ चैलेंज भी किया गया। वर्ष 1990 में Prasar Bharati Act आ गया, जिसको नए रूल्स बनाने के लिए autonomy दी गई। 1997 में प्रसार भारती स्थापित की गई जिसको यह करना था, लेकिन मैं सांसद महोदय को बताना चाहती हूं कि अब सरकार इसमें जून के महीने से लगातार, हर पन्द्रह-बीस दिन में मामलों को काफी हद तक final stages में ले आई है और हमें उम्मीद है कि इस financial year से पहले-पहले यह हो जाना चाहिए। The draft recruitment rules have been examined and sent to the DoPT. It is in the final stage. It was sent on 9th December, 2009.

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदया के जवाब से संतुष्ट हूं। मैं यही जानना चाह रहा था कि इस मामले को निपटाने के लिए आप कितना समय लेंगे? अब चूंकि आपने कह दिया है कि हम इसी financial year के अंदर इसको निपटा लेंगे, तो मैं संतुष्ट हूं।

श्री एस.एस. अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदया से जानना चाहूंगा कि यह जो मुद्दा है, यह 1985 और 1988 का है और 1990 के दशक से जब बहुत सारे टी.वी. चैनल शुरू हो गए, तो दूरदर्शन का एक बहुत बड़ा competition शुरू हो गया। उस वक्त एच.आर. की जो भी पॉलिसी बनी थी, वह उस समय की requirement के अनुसार बनी थी। आज जब इस competition के युग में हम जी रहे हैं और हमें जिंदा रहना है, तो क्या दूरदर्शन ने ऐसी कोई नई एच.आर. पॉलिसी बनाने के बारे में सोचा है कि किस तरह से rest of the TV channels, news channels, entertainment channels से compete करने के लिए हमारी क्या एच.आर. पॉलिसी होनी चाहिए?

श्रीमती अम्बिका सोनी : सर, माननीय सांसद को पता है, जैसा मैंने कहा कि 1997 में प्रसार भारती स्थापित की गई। वह बिल्कुल एक autonomous organisation के रूप में स्थापित की गई और क्या रूल्स बनाने हैं, क्या रिक्रूटमेंट रूल्स बनाने हैं, किस तरह के लोगों को भर्ती करना है, यह अब प्रसार भारती के अधिकारों के तहत आता है। वर्ष 2006 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया था। कुछ मुद्दे उनके सामने रखे गए थे, जिनमें एक मुद्दा यह भी था कि जो लोग 1997 में प्रसार भारती को सरकार की तरफ से भेजे गए थे, उनका क्या स्टेटस होना चाहिए? तो जी.ओ.एम. ने यह तय किया था कि 5 अक्टूबर, 2007 तक जो लोग उनके जरिए प्रसार भारती में रिक्रूट किए गए या सरकार की तरफ से भेजे गए थे, they would be considered to be on deemed deputation. उसके बाद किसको भर्ती करना है, कैसे vacancies भरनी है, यह प्रसार भारती को खुद तय करना है। हम लोगों ने वैसे कुछ और मुद्दों को address करने के लिए जी.ओ.एम. को दोबारा गठित करने का सुझाव सरकार को दिया है।

Commissioning of washeries

*343.SHRI JABIR HUSAIN: DR. T. SUBBARAMI REDDY: Will the Minister of COAL be pleased to state :

(a) whether the Coal India Ltd. is set to commission 19 washeries over the next five years with an investment of Rs.3,000 crores:

(b) whether this facility would help the coal behemoth in enhancing the quality of its coal through washing;

(c) whether the company also plans to start commercial operation of 6 out of the 19 washeries by March, 2013; and

(d) if so, to what extent il would be helpful?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI SRIPRAKASH JAISWAL): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Yes, Sir. Coal India Ltd. (CIL) envisages selling up 20 new coal washeries for an ultimate raw coal throughput capacity of 111.10 million tonnes per annum (mtpa) with an estimated capital investment of about Rs.2500 crore. These washeries include 7 numbers of coking coal washeries for an ultimate raw coal throughput capacity of 21.1 mtpa with an estimated capital investment of about Rs.775 crore and 13 numbers of non-coking coal washeries for an ultimate raw coal throughput capacity of 90 mtpa with an estimated capital investment of about Rs.1725 crore.

The additional capacity is expected to help in improving the quality of coal and the availability of washed coking coal from the current level of 3.68 million tonnes (ml) to about 9 mt and washed non-coking coal from the current level of 11.28 mt to aboul 74 mt. Further, the existing capacity of coking coal washeries will increase from 22.18 mtpa to 43.28 mtpa and the capacity of non-coking coal washeries will increase from the existing 17.22 mtpa to 107.22 mtpa. This will help in maintaining the consistency in the quality of coal supplies.

3 coking coal washeries for a capacity of 12.5 mtpa and 3 non-coking coal washeries for a capacity of 30 mtpa are envisaged to be commissioned by March, 2013. Commissioning of these washeries is envisaged to increase the availability of washed coking coal by 3 mt and washed non-coking coal by 21 mt.

श्री जाबिर हुसैन : महोदय, सरकार ने अपने जवाब में जो सूचनाएं सदन को दी हैं, उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि लगभग ढाई हजार करोड़ रुपए व्यय करने का जो फैसला है, यह फैसला तकनीकी विशेषज्ञों की किसी रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है या केवल सरकारी स्तर पर लिया गया है? अगर किसी रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला हुआ है, तो कोयला क्षेत्र के विकास के बारे में और कोयले में सुधार के लिए अन्य क्या सुझाव उन्होंने दिए हैं, उससे सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, कोल इंडिया में लंबे समय से इस तरह की शिकायतें आती थीं कि वॉशरीज़ में ठीक ढंग से कोयला साफ नहीं किया जा रहा है। कहीं शिकायतें आती थीं कि वॉशरीज़ में जो कोयला भेजा जाता है, वह दूसरी तरफ से बगैर वॉश किए हुए चला जाता है। क्योंकि कोयले की वॉशिंग बहुत जरूरी है और हमारे यहां जो कोयला पैदा होता है, उसमें ash content काफी ज्यादा होता है, तो उस ash content को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए जब तक कोयला वॉशरीज़ के थ्रू नहीं जाता है, तब तक हमारे जितने प्लांट्स हैं, खास तौर से पावर प्लांट हैं, सीमेंट प्लांट हैं, sponge iron plant है, ये प्लांट्स बेहतर ढंग से नहीं चल सकते हैं। इसलिए कोल इंडिया ने यह फैसला किया है कि हम अपनी बीस वॉशरीज़ लगाएंगे, जिनके माध्यम से सारे का सारा कोयला साफ करने की कोशिश करेंगे। इसमें से लगभग चार या पांच वॉशरीज़ तो कोल इंडिया 11th Five Year Plan में ही लगा देगा और बाकी वॉशरीज़ को 12th Five Year Plan के पीरियड में लगाकर हम कोयले को साफ करने की कोशिश करेंगे।

इसके लिए कोई अध्ययन कमेटी नहीं बनाई गई थी और न ही कोई एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई है, लेकिन तजुर्बे के आधार पर कोल इंडिया यह फैसला करती है, बहुत सी शिकायतें आती हैं, बहुत सी चीजें सामने आती हैं, कोल इंडिया खुद-ब-खुद इस पर फैसला करती है कि अब हमको क्या करना चाहिए। उसने यह फैसला लिया है 20 अपनी वाशरीज़ लगाकर हम कोयले की सफाई का काम करेंगे।

श्री जाबिर हुसैन : महोदय, कोयला क्षेत्र में जो दूसरी तरह की शिकायतें हैं, जो खदानें हैं उनकी लीजिंग के बारे में है, इल्लिगल माइनिंग के बारे में है, इस संबंध में सरकार ने कोई विचार किया है या नहीं और इस संबंध में कोई निर्णय विचाराधीन है या नहीं?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, हालांकि यह प्रश्न हमारे मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य की जिज्ञासा है और इस तरह की शिकायतें भी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी रहती हैं कि इल्लिगल माइनिंग होती है, कोयले की चोरी होती है। इसमें बहुत कुछ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। माननीय सभापति जी, हम समय-समय पर राज्य सरकारों से यह बात करते रहते हैं कि जितनी इल्लिगल माइनिंग्स होती है, जितनी theft होती है, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, पुलिस स्टेट की होती है, जब तक हमें पुलिस का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, जब तक हमें स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक इस तरह की एक्टिविटीज को हम रोक नहीं सकते हैं। फिर यह प्रयास किया जाता है कि हमारी कोल कम्पनीज के द्वारा कि हम इल्लिगल माइनिंग्स को रोकें। उनका चालान किया जाता है और उनको पकड़ कर पुलिस के हवाले किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया है कि अगर इसमें स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्ट लेंगी, तो शायद हम ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। हम आपकी सूचना का खंडन नहीं करते हैं कि इल्लिगल माइनिंग होती है पर theft होती है, हो रही है, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार प्रयास करती रहती है, कोल इंडिया प्रयास कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम उसमें कुछ न कुछ कंट्रोल जरूर करेंगे और पिछले 6 महीने के अंदर भी काफी कुछ कंट्रोल हुआ है।

SHRI ASHWANI KUMAR: Sir, the question relates to the quality of coal. The answer I seek from the hon. Minister is whether the efforts at creating new washeries for enhancing the quality of coal will actually impact on removing the principle hurdle in power generation which is on account of non-availability of high quality domestic coal. One of the principle issues that we have faced in this country as far as our economic development is concerned is the lack of coal of requisite quality that goes into augmenting power generation. Will the hon, Minister be able to reply to this question?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : सर, माननीय सदस्य बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि जो हमारे देश में कोयला होता है अथवा जो कोयला खदानें हैं, वे एवरेज क्वालिटी की खदानें हैं। कोकिंग कोल बहुत कम क्वान्टिटी में होता है और जो नोन कोकिंग कोल है, उसका स्तर भी उतना अच्छा नहीं है, जितना अच्छा होना चाहिए। फिर भी हम यह कोशिश करते रहते हैं कि उस कोयले की क्वालिटी को जितना ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, करते हैं। इसके लिए प्राइवेट सैक्टर में बहुत सी वाच शीट लगी हुई हैं और हमारी भी अपनी वाशरीज लगी हुई है, लेकिन जितना कोयले का उत्पादन हो रहा है, उसकी क्वालिटी को हम अभी तक उतना इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं, जितना हमें इम्प्रूव करना चाहिए। इसी उद्देश्य से कोल इंडिया ने यह फैसला लिया है कि हम 20 न्यू वाशरीज़ लगाकर कोयले की क्वालिटी को ज्यादा से ज्यादा इम्प्रूव करें। इसके अलावा भी बहुत सी दिक्कतें हमारे सामने हैं, जैसे कि एक हजार किलोमीटर के अंदर हमें जितना भी कोयला सप्लाई करना होता है, उसका एक नार्म बना हुआ है कि अगर इससे ज्यादा ऐश कंटेंट होगा, तो हम उस कोयले का मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम कोयले की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। हम माननीय सदस्य को आश्वस्त करते हैं कि आने वाले समय में इन वाशरीज के माध्यम से तथा जो वॉशरीज आलरेडी लगी हुई हैं, हम उनके माध्यम से कोयले की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे।

*344. [The questioner(s) Shrimati Syeda Anwara Taimur, Shri Vijay Jawaharlal Darda were absent. For answer vide page 21 infra.]

National Judicial Commission

*345. SHRI P. RAJEEVE: Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether Government has any plan to constitute a National Judicial Commission for the appointment of Judges; and

(b) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE (SHRI M. VEERAPPA MOILY): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) No, Sir.

(b) The existing procedure for appointment of Judges of the Supreme Court & High Courts is based on the Supreme Court Judgment of October 6, 1993 in the case of Supreme Court Advocates on Record & Anr. Vs. Union of India read with the Advisory Opinion of the Supreme Court dated October 28, 1998. There is no proposal at present before the Government to reconsider this procedure.

SHRI P. RAJEEVE: Sir, in the answer, the hon. Minister has stated that the appointment of judges is based on the Supreme Court Judgement. Now, there is no mention of collegium in the Constitution of our country. With the pronouncement of this judgement, the judiciary has taken upon itself the responsibility of the Executive in the matter of appointment of judges. After this, there have been many complaints regarding malpractice and non-transparency. So, I would like to know from the hon. Minister the opinion of the Government as to whether the existing system of appointment of judges is sufficient enough to protect the credibility and transparency of the judicial system of our country.

SHRI M. VEERAPPA MOILY: Mr. Chairman, Sir, the matter regarding appointment and transfer of judges has been dealt with by various Governments, right from the year 1990. The National Judicial Commission Bill was introduced in 1990, and that lapsed. Again, another Bill, for